



F-07-08
F-07-11

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु-560 037
MARATHAHALLI COLONY P.O
BENGALURU -560 037

वर्ग अनुमोदन सं.1326 का संशोधन सहित नवीकरण

Amendment cum Renewal of Type Approval No. 1326

विषय / Sub: स्टार्टर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट(एसईसीयू), पार्ट सं.:N145661

Starter Electronic Control Unit (SECU)

Part No.: N145661

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एवियोनिक्स प्रभाग, बालानगर, हैदराबाद - 500 042 द्वारा अभिकल्पित एवं विकसित तथा उत्पादित "स्टार्टर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट (एसईसीयू)", पार्ट सं.: एन 145661 को संदर्भ सं.: सेमिलैक/5070/टीए-1326, दिनांक 28 जनवरी 2008 द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 1326 जारी किया गया। तदुपरान्त संदर्भ सं.: सेमिलैक/5070/टीए-1326/1आर दिनांक 19 फरवरी 2013 द्वारा नवीकरण जारी किया गया था जिसकी वैधता 31 दिसंबर 2017 तक थी। संदर्भ सं.: सेमिलैक/5070/टीए-1326/1ए दिनांक 17 जून 2013 द्वारा संशोधन जारी किया गया था।

This is to state that the "Starter Electronic Control Unit (SECU)" bearing the Part No.: N145661 of LCA, designed, developed and manufactured by M/s Hindustan Aeronautics Limited, Avionics Division, Balanagar, Hyderabad - 500 042 was issued with Type Approval No.: 1326 vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA-1326, dated: 28th January 2008. This was subsequently renewed vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA - 1326/1R, dated: 19th February 2013 and is valid up to 31st December 2017. The amendment was issued vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA-1326/1A, dated: 17th June 2013.

आरसीएमए (हैदराबाद) के नवीकरण और संशोधन हेतु मांग, एमओडी लीफलेट संख्या संदर्भ सं.: आरसीएमए (हैदराबाद)/ ईएलएमसी / 86 / 2014 / एसईसीयू-1504ए दिनांक 17 दिसंबर 2014 के आधार पर , वर्ग अनुमोदन सं. 1326 एवं उसके परिशिष्ट.ए में निम्नलिखित संशोधन जारी किया जाता है।

Based on the request for renewal and amendment from RCMA (HYD), MOD LEAFLET Number vide Ref. No.: RCMA (HYD) /ELMC/86/2014/SECU-1504A, dated: 17th December 2014, the following amendment is effected in the Type Approval No. 1326 and it's Appendix 'A'

<i>Wherever / for</i>	<i>Read as/ Added</i>
Technical Specification Doc No.: D/AGM (EDB)/3-86-9 / 153 /9, Issue No.: 02, dated: 29 th March 2004	Technical& Functional Specification No.: Doc No. : T & FS : D/AGM (EDB)/3-86-9/153 /9, Issue No.: 03 dated: 08th December 2014
Add MOD No.:	HAL (HD) / SECU / N145661/LCA/SW/2.7/2014, Issue No.: '1', Revision : NIL dated: 17th December 2014
Software Version 2.04 CHECKSUM MAIN: Ox54C8 IPS : OxFDCI	Modified Software Version: 2.7 MAIN CHECKSUM : 1DC0h IPS CHECKSUM : 3634h

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 अक्टूबर 2018 से संतोषजनक निष्पादन फीडबैक के आधार पर किया जाता है तथा 30 सितंबर 2023 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (03) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (हैदराबाद), सेमिलैक, डीआरडीओ, हैदराबाद - 500 042 से अनुरोध करना होगा।

This is to certify that the Type Approval is hereby renewed w.e.f. 01st October 2018 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 30th September 2023 unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Hyd), CEMILAC, DRDO, Hyderabad - 500 042, three (03) months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.

3. संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1326, दिनांक 28 जनवरी 2008 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद पाँच (05) में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

The Para five (05) of original Type Approval Certificate vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA-1326, dated: 28th January 2008 is amended as stated herewith.

“[अगर इस टाइप रिकॉर्ड के एसओपी और घोषितनिष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु - 560 037 की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।]”

“[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru - 560 037, is to be obtained to adopt any changes in the Type Approval, SOP and in the declared performance indicated in the Type Record. The Type Approval is not transferable to any other agency]”.

4. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होगा।

All other conditions stipulated in the initial type approval certificate remain unaltered, and fully applicable.

स./No.:सेमिलैक/CEMILAC/5070/टी.ए/TA-1326/2R

दिनांक/Date: 05 October 2018

फैक्सस./Fax No.: 080 - 2523 0856

04th Oct 18 JR 04/10/18

पी . जयपाल/ P. JAYAPAL
उत्कृष्ट वैज्ञानिक / Outstanding Scientist
मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता)/
Chief Executive (Airworthiness)